



राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

घोषणा

सी.एस. (एम.ए.) नियम 1944 के अंतर्गत छूट रियायत के लिए पात्रता के प्रयोजन हेतु परिवार का विवरण।

सरकारी कर्मचारी का नाम :
पद :
जन्म की तारीख :
नियुक्ति की तिथि :
मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण : _____

क्रमांक	सदस्यों का नाम	जन्म की तारीख	संबंध अधिकारी के साथ	टिप्पणियां

कार्यालय के प्रमुख के हस्ताक्षर

मैं एतद्वारा किसी भी परिवर्तन के लिए वित्त अधिकारी कार्यालय प्रमुख को सूचित करके उपरोक्त विवरणों को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ। मैं प्रासंगिक नियमों को समझता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान _____

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक _____

जारी रखें

नोट:

परिवार की परिभाषा- केंद्रीय सेवा के प्रयोजन के लिए परिवार शब्द। (मेडिकल अटेंडेंस) नियम 1944, का अर्थ सरकारी सेवक की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, माता-पिता, बच्चे और सौतेले बच्चे पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर होंगे।

स्पष्टीकरण:

1. परिवार शब्द में कोई अन्य आश्रित संबंध जैसे भाई, बहन, विधवा बहन आदि शामिल नहीं है। माता-पिता शब्द में सौतेले माता-पिता शामिल नहीं है।
2. 'बच्चे' शब्द में कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल होंगे।
3. ऐसे माता-पिता को मुख्य रूप से एक सरकारी कर्मचारी पर निर्भर पूर्ण रूप से माना जाना चाहिए जो आम तौर पर संबंधित सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं और जिनकी मासिक आय सरकारी कर्मचारी के वेतन जमा महंगाई भत्ता (जहां लागू हो) से अधिक नहीं हो जबकि माता-पिता की अधिकतम आय रूपये 3500 हो।
 - (i) एकमुश्त गैर-आवर्ती आय उदाहरण: अंशदायी भविष्य निधि लाभ भारत सरकार पुरस्कार बांड, ग्रेच्युटी, परिवर्तित ग्रेच्युटी, बीमा लाभ आदि को इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आय' के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
 - (ii) हालांकि आय का आकलन करने के उद्देश्य से स्रोतों से आवर्ती मासिक आय, जैसे मकान, भूमि जोत आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।